Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding brutal atrocities against women folk across the country.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I would like to flag the attention of the entire House towards this issue. In spite of volcanic and seething anger coupled with indignation, hate against…. …(*Interruptions*)

Sir, in spite of volcanic and seething anger coupled with indignation and hate against the gangrape incidents which have been occurring at regular intervals across the nation, there is no respite of this kind of brutal and bestial crime. सर, हम यहां बहुत सारे कानूनों की बात करते हैं, मृत्युदंड की घोषणा करते हैं । बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन कभी-कभी लगता है कि क्या हम पैसे के बुद्धिमान और पाउंड के मूर्ख हैं? कोई कमी नहीं दिखाई देती । सर, हैदराबाद की घटना हुई, उसके बाद बंगाल में माल्दा, फिर उन्नाव का मामला आ गया । हम लोग कहां जाएं, हिन्दुस्तान के लोग कहां जाएं? सबसे बड़ी बात है कि उन्नाव में चार दिन पहले आरोपी को रिहा किया गया । आरोपी ने पीड़िता को मारने के लिए आग लगा दी । महिला भागती हुई, दौड़ती हुई किसी के पास शरण लेनी गई । उसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती हुई, अभी दिल्ली आई । उसकी 95 परसेंट बॉडी जल गई । यह क्या हो रहा है? आज की तारीख 6 दिसम्बर को बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई थी और वहां मंदिर बन रहा है । एक तरफ हिन्दुस्तान में राम जी का मंदिर बन रहा है और दूसरी तरफ सीता को जलाया जा रहा है ।…(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अम्बेडकर साहेब को भी याद कर लो । आज बाबा साहेब की पुण्य तिथि भी है । अधीर रंजन जी, बाबा साहेब की पुण्य तिथि है, उनको भी याद कर लो ।…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : बात तो सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ । एक तरफ राम जी का मंदिर बन रहा है, गौर से सुनो, एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का मंदिर बन रहा है और दूसरी तरफ सीता मैया को जलाया जा रहा है ।…(व्यवधान) यह हिन्दुस्तान की असलियत है । यह मैं बताना चाहता हूँ कि इतनी ताकत आरोपी कैसे जुटा पाते हैं, जिसकी सीबीआई जांच-पड़ताल कर रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है और जिसके साथ सिक्योरिटी पर्सोनेल तैनात हैं, उनको कभी गाड़ी के टकराव से मारने की कोशिश की

जाती है ।...(व्यवधान) कभी जला कर मारने की कोशिश की जाती है । हम कहां जा रहे हैं? वहां के आरोपी को कैसे छूट दी गई, यह हम सब को देखना पड़ेगा ।...(व्यवधान) आरोपी ने यदि जेल से छूट मिलने के बाद चार दिन के अंदर यह घटना की तो हिन्दुस्तान में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना हम सब को शर्मिन्दा करती है । उत्तर प्रदेश कहता है कि हम उत्तम प्रदेश बने, किन्तु दिन पर दिन उत्तर प्रदेश अधम प्रदेश बनने की कगार पर पहुंच गया है ।...(व्यवधान) इसलिए सरकार को कोई जवाब तो देना चाहिए ।

देखिए, हैदराबाद में आरोपियों को गोलियों से उड़ा दिया, जिन्होंने भागने की कोशिश की, उनको हैदराबाद पुलिस ने गोलियों से उड़ा दिया ।...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो अपराधी है, उनको छूट दे दी । उनको जमानत पर छूट दे दी । उसके चलते उनको मौका मिला ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती मीनाक्षी लेखी ।

...(व्यवधान)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि उन्नाव की घटना को लेकर एसआईटी बनाई गई है ।...(व्यवधान) यहां पर यह सेंगर वाला पहला केस नहीं है । यह दूसरा केस है, लेकिन हैदराबाद में जो हुआ, एक महिला होने के नाते, एक वकील होने के नाते मुझे लगता है कि जो कानूनी प्रक्रिया है, उसका पालन किया गया है ।...(व्यवधान) 'जैसी करनी, वैसी भरनी' । अगर कोई गलत काम करेगा और उसके बाद पुलिस की हथकड़ी छोड़कर भागने की कोशिश करेगा तो पुलिस को वैपन दिए गए हैं, जो बंदूकें दी गई हैं, वे सजाने के लिए नहीं दी हैं ।...(व्यवधान) उनको उसका इस्तेमाल करना है तो उन्होंने उसका इस्तेमाल किया । कानूनी रूप के तहत उसकी एफआईआर दर्ज होगी, एनएचआरसी को जाएगा और उसके ऊपर इंक्वायरी होगी ।...(व्यवधान)

12.19 hrs

(At this stage, Shri Gaurav Gogoi and some other hon. Members left the House.)

वह सब अपने तरीके से काम चलता रहेगा । लेकिन देश को जो सबसे बड़ी घटना निर्भया ने झकझोरा था, उसमें चार साल के अंदर ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामले की सुनवाई की गई और चार साल में मामला खत्म किया गया ।...(व्यवधान) मुझे दु:ख होता है, यह कहकर कि मैं दिल्ली में रहती हूं और निर्भया केस में हमने बहुत काम किया । इस सदन में कानून भी बदला, लेकिन उसके बावजूद तीन साल तक दिल्ली सरकार उस मामले पर बैठी रहती है ।...(व्यवधान) उस फाइल की नोटिंग्स को पब्लिक में पेश किया जाना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं, जो अवसरवादी राजनीति करते हैं । हैदराबाद में इंसीडेंट हो गया, देश भर की महिलाएं अपने आपको असुरक्षित महसूस करें, उस वक्त इस फाइल पर साइन किया जाए । मुझे लगता है कि देश के अंदर एक अभद्र माहौल भी बनाने की कोशिश है । यह 130 करोड़ का देश है और 130 करोड़ के देश में कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलत रहेगा, कुछ गंदे लोग होंगे, लेकिन 90 से ऊपर 99 प्रतिशत लोग भले हैं । उन 99 प्रतिशत लोगों को चरित्रहीन बताना और पूरे देश में ऐसा माहौल खड़ा करना भी गलत है । अगर आप आंकड़े देखें तो भारत के आंकड़े 5 से 7 परसेंट हैं । स्कैन्डिनेवीअन देशों के आंकड़े 55 प्रतिशत हैं, अमेरिका के अंदर आंकड़े 36 प्रतिशत हैं, यू.के. का आंकड़ा 35 प्रतिशत है, लेकिन वहाँ पर ये घटनाएं प्रथम पेज पर नहीं लिखी जातीं, कहीं छिपा दी जाती हैं । भारत के लिए पूरी दुनिया में बताया जाता है कि यहाँ महिलाओं के लिए असुरक्षित माहौल है । असुरक्षा के खिलाफ यह सदन सहमत है । सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए । कानूनी रूप से शीघ्र निपटान होना चाहिए । पुरुषों की मानसिकता बदलने का विचार होना चाहिए, सब काम ठीक होने चाहिए, लेकिन इश्यूज को सैन्सेशनलाइज नहीं करके सेन्सिटिव हैंडलिंग होनी चाहिए । बहुत-बहुत आभार । ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री सुधीर गुप्ता, श्री दुष्यंत सिंह और श्री राजेन्द्र अग्रवाल को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक-सवाई माधोपुर): महोदय, मैं इस विषय पर कुछ बोलना चाहता हूँ ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप एक सेकेंड रुकिए । आपका भी विषय है, मैं आपको बोलने का मौका दूँगा । आप बैठिए । जब मैंने कह दिया कि मैं आपको मौका दूँगा तो आपको जरूर मौका दूँगा । पहले मैं यूपी के माननीय सदस्यों को मौका दे दूँ और फिर माननीय मंत्री जी बोलेंगी ।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): महोदय, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद । आज जिस तरीके से बलात्कार, रेप की घटनाएं देश भर में हो रही हैं और कहीं न कहीं एक दिन मैंने जीरो ऑवर में भी यह सवाल उठाया था कि इस देश में पुलिस के रिफॉर्म्स की जरूरत है । आखिर ऐसी कौन सी वजह हो जाती है कि जब दोषी कोर्ट में जमानत लेने जाता है, तो पुलिस कहीं न कहीं चुप रह जाती है और वह उसकी जमानत का विरोध उस तरीके से नहीं करती है । जिस तरीके से उन्नाव के अंदर हुआ कि एक रेप विक्टिम को सरेआम जिंदा जलाया गया, तो कहीं न कहीं वहाँ की सरकार और पुलिस की विल में कमी है । हम यह चाहते हैं कि जो रेपिस्ट हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए । जूडिशियल प्रोसेस जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए । उनको जूडिशियल प्रोसेस के तहत फाँसी के फंदे पर लटकाया जाना चाहिए और उनके साथ कोई भी रियायत नहीं बरती जानी चाहिए ।

کنور دانش علی (امروہہ): جناب، آپ نے مجھے موقع دیا، اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج جس طریقے سے عصمت دری کے واقعات، ملک بھر میں ہو رہی ہیں اور کہیں نہ کہیں ایک دن میں نے زیرو آور میں بھی یہ سوال اُٹھایا تھا کہ اس ملک میں پولس کے ریفارمس کی ضرورت ہے. آخر ایسی کونسی وجہ ہو جاتی ہے کہ جب دوشی کورٹ میں ضمانت لینے جاتا ہے، تو پولس کہیں نہ کہیں چُپ رہ جاتی ہے اور وہ اس کی ضمانت کی مخالفت اس طریقے سے نہیں کرتی ہےجس طریقے سے اُنّاؤ کے اندر ہوا کہ ایک عصمت دری کی کی شکار کو سرِ عام ذندہ جلا یا گیا تو کہیں نہ کہیں وہاں کی سرکار اور پولس کی وِل میں کمی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ریپسٹ ہیں، ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہئیے۔ عدالتی کام جلد سے جل پورا ہونا چاہئیے۔ ان کو جیوڈیشیل پروسیس کے تحت پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جانا چاہئیے اور ان کے ساتھ کوئی بھی رعایت نہیں برتنی چاہئیے۔

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले को कुंवर दानिश अली द्वारा उठाए गए **:माननीय अध्यक्ष** विषय के

साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

श्री अनुभव मोहंती (केन्द्रपाड़ा): सर, धन्यवाद । सर, एक पुरुष होने के नाते मैं हमेशा महिलाओं की इज्जत करता आया हूँ और करता रहूँगा । हर बार अच्छा लगता है जब ऐसे मुद्दों पर, ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर पूरा हाउस इकट्ठा होकर खड़ा होता है और एक ही आवाज में बोलता है कि ऐसे लोगों को, जो औरतों पर अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं, रेप करते हैं, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए । दुख इस बात का होता है कि जब ऐसे

संवेदनशील इश्यूज को लेकर हम सदन में कम्युनल चीजों को भी जोड़ने लग जाते हैं । यह बड़े दुख की बात है, क्योंकि कोई औरत, कोई बहन, एक इंसान है, उन पर क्या बीतती है, उनका परिवार किस ट्रॉमा से गुजरता है, इसको समझना बहुत जरूरी है । उसको बहुत पॉलिटिसाइज किया जाता है । हम चाहे यहाँ कितना भी क्यों न बोलें कि इसको पॉलिटिकली न लिया जाए और पॉलिटिसाइज़ न किया जाए, लेकिन सदन के अंदर भी किया जा रहा है और सदन के बाहर भी ऐसा किया जा रहा है । मैं इसकी कड़ी निन्दा करता हूँ । आप कोई रूलिंग दीजिए । कोई भी ऐसा कदम नहीं उठना चाहिए, जो देश को तकलीफ पहुँचाए ।

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, उन्नाव में जो घटना हुई है, मैंने उस पर एडजर्नमेंट मोशन दिया था । आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ । मैं नहीं जानता हूँ कि कितने दिन तक हिन्दुस्तान में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती रहेंगी और इस सदन में हम उसकी चर्चा करते रहेंगे ।...(व्यवधान) मुझे अपने को शर्मिन्दा लगता है कि हिन्दुस्तान की संसद में यह चर्चा होती है ।...(व्यवधान) जब महिलाओं पर अत्याचार की घटना अखबार के फर्स्ट पेज में आ जाती है, तो पॉलिटिकल लोग होते हुए उसको हमें उठाना पड़ता है । इसके साथ-साथ हमें यह बताना पड़ता है कि जहां घटनाएं होती हैं, वहां राज्य पुलिस और प्रशासन की कमी रह गई ।...(व्यवधान)

इसके पहले भी उन्नाव में घटना घटी थी, आप जानते हैं । फिर वहीं उन्नाव में एक महिला को, जो रेप विक्टिम है, उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई । उसे एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाया गया और वह सफ़दरजंग अस्पताल में बचने के लिए लड़ाई कर रही है । मैंने पहले दिन भी कहा था कि रेप ...* को जल्दी ही मृत्यु दण्ड देने की आवश्यकता है और यह हाउस में बोला गया कि रेपिस्ट को, सॉरी, रेपिस्ट को मृत्यु दण्ड देने की जरूरत है । अभी भी हाउस में इसकी चर्चा हुई कि निर्भया कांड में जो लोग शामिल थे, उन्हें अभी भी फाँसी नहीं हुई । इसे घटित हुए सात साल बीत गए । हमने उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रबन्ध किया था । यह 'जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड' है ।

आज हैदराबाद में जो एक्यूज्ड थे, उन्हें गोली से उड़ा दिया गया है । यह बोला गया कि एनकाउंटर हुआ । मैं देखता हूं कि फेसबुक पर बहुत लोगों ने प्रशंसा की । मैं तो एनकाउंटर डेथ का समर्थक नहीं हूं, लेकिन आज लोगों के मन में यह भाव है । लोग कहते हैं कि रेपिस्ट्स को लिन्च करके मार देना चाहिए, नहीं तो एनकाउंटर करके मार देना चाहिए । अगर हमें देश में कानून के शासन की प्रतिष्ठा करनी है तो हमें दिखाना पड़ेगा कि हम रेपिस्ट्स को कड़ी से कड़ी सजा जल्द से जल्द दिला सकें । मैं आपसे अपील करता हूं

कि इस संसद में आप मंत्री को बुला कर कानून को और कड़ा करें और उसके एक्सपीडियस ट्रायल और डिस्पोजल का इंतजाम करें ।

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले को प्रो. सौगत राय के द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, किन शब्दों में मैं कहूं? वेदना है, तिरस्कार है, गुस्सा है । हमारी माँ, हमारी बहन आज खुले आम जलाई जा रही हैं । हम सब वेदन सहित यहां वक्तव्य दे रहे हैं, लेकिन मेरी आँखों में आँसू आते हैं कि अपराधियों में कितनी हिम्मत है और कानून के बारे में डर नहीं है । कल क्या हुआ? तेलंगाना की पुलिस ने क्या किया? उन्होंने सही किया या बुरा किया, लेकिन दुनिया उन्हें बहुत आशीर्वाद दे रही है ।

महोदय, मैं आपसे इतनी प्रार्थना करूंगा कि यहां हम चर्चा करते हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और यह ज्युडिशियरी के माध्यम से होना चाहिए । अगर हम ज्युडिशियरी के माध्यम से जाएं तो निर्भया घटना को घटित हुए सात वर्ष हो गए हैं ।

महोदय, मैं आपसे एक अलग प्रार्थना करता हूं कि आप इसके बारे में पार्लियामेंट की महिलाओं और अन्य माननीय सदस्यों की एक कमेटी गठित करें कि ऐसे मामले में हम कड़ी कार्रवाई, कम से कम समय में कैसे कर सकते हैं । इस मामले को नीचे के किसी कोर्ट में नहीं जाना है । अगर वह मामला नीचे की कोर्ट में जाएगा तो फिर उससे ऊपर की कोर्ट में जाएगा और फिर उससे ऊपर की कोर्ट में जाएगा और आखिर में वह राष्ट्रपति जी के पास जाता है । इन सबको रोकना है, ऐसा कानून बनना चाहिए । अगर वह केस सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उसे सजा देगा तो उसी को एक महीने के अन्दर इम्प्लीमेंट कर देने की व्यवस्था करें । हम सब इससे सहमत हैं ।

माननीय अध्यक्ष: राजीव रंजन सिंह जी, अगर सब को एक ही बात कहनी है तो यह विषय सदन में आ गया ।

श्री अरविंद सावंत : महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपकी निगरानी में कमेटी बने और इसके ऊपर जल्दी से जल्दी निर्णय लेकर एक कानून लेकर आएं । मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं और रात की जो घटना थी, उसकी निर्भर्त्सना करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले एवं श्री सुधीर गुप्ता को श्री अरविंद सावंत के द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

श्री राजीव रंजन सिंह `ललन` (मुंगेर): अध्यक्ष महोदय, हैदराबाद में या उन्नाव में, इस तरह की जो भी घटनाएं हुईं, उनकी जितनी निन्दा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए, वह कम है । लेकिन, समाज है और समाज में विकृत मानसिकता के कुछ लोग रहते हैं । सारे कानून बनने के बाद भी विकृत मानसिकता वाले जो लोग हैं, उन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते । उन्हें नियंत्रित करने का तरीका यही है कि सख्त से सख्त सजा हो और एक्सपीडियस ट्रायल के माध्यम से हो, ताकि उन्हें यह एहसास हो कि अगर हम एक जघन्य अपराध करेंगे तो हम जल्दी से जल्दी सजा पाएंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस तरह के मामले बहुत संवेदनशील होते हैं । जब ये मामले संवेदनशील होते हैं तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए । हमें राजनीति से ऊपर उठकर ऐसे मामलों पर विचार करना चाहिए । हम समझते हैं कि हैदराबाद की घटना पर जिस दिन आपने चर्चा की अनुमति दी, माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी कहा था कि सदन इस पर विचार करे । आज एक्सपिडिसियस ट्रायल के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है, ताकि एक निर्धारित समय सीमा के अंदर उनके मुकदमे की प्रक्रिया पूरी हो सके ।

माननीय अध्यक्ष : श्री सुधीर गुप्ता को श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

अनुप्रिया जी, आप एक मिनट में अपनी बात पूरा कर लीजिए ।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): माननीय अध्यक्ष जी, हैदराबाद की चर्चा खत्म नहीं हुई और उन्नाव का मामला सामने आ गया । सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि उन्नाव में जो भी हुआ, वह बहुत घृणित, अमानवीय, असंवेदनशील है और मैं उसकी घोर निंदा करती हूं । मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से दोषी बेल पर बाहर आने के बाद इतना बड़ा दुस्साहस करते हैं कि एक लड़की को गांव के बाहर घसीट कर उसको जिंदा जलाने की कोशिश करते हैं, उसी जली हुई हालत में वह लड़की भागती है, दौड़ती है और मदद के लिए गुहार लगाती है । आज उसको एयर लिफ्ट करके सफदरजंग हॉस्पिटल लाया गया है । पता नहीं वह बचेगी या नहीं बचेगी । हम सब तो कामना ही कर सकते हैं कि वह बच जाए ।

अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि यह बात उत्तर प्रदेश की नहीं है, यह बात तेलंगाना की नहीं है, बल्कि यह बात पूरे देश की है । पूरे देश के अंदर कोने-कोने में जहां बलात्कारी बैठे हुए हैं, उनके मन में सिस्टम का कोई खौफ नहीं है । कहीं न कहीं हम सारे लोग तथा पूरा सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है । निर्भया केस में डेथ सेन्टेन्स अवार्ड होता है, लेकिन वह एक्जिक्यूट नहीं होता है । जब तक किसी न किसी को फांसी के

फंदे पर लटका कर हम नज़ीर पेश नहीं करेंगे, तब तक हम सिस्टम का खौफ पैदा नहीं कर सकते हैं । मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूं कि इस पर एक नेशनल लेवल डायलॉग हो । सेन्ट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, पोलिटिकल पार्टीज के स्तर से ऊपर उठकर देश की आधी आबादी को सुरक्षित करने की दृष्टि से हम एक साथ आएं और उसके लिए एक कदम उठाएं । इसके लिए समयबद्ध, त्वरित न्याय के साथ एक कठोर संदेश पूरे देश में दिया जाए ।

माननीय अध्यक्ष : श्री सुधीर गुप्ता को श्रीमती अनुप्रिया पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया : अध्यक्ष महोदय, अभी अधीर रंजन जी चले गए हैं, मैं उनके सामने अपनी बात रखना चाहता था । 27 अप्रैल को अलवर में एक घटना हुई । वह रेप केस था । वहां 29 मई को चुनाव था । उसके बाद जब वोटिंग हो गई, तो उसको प्रदेश की गवर्नमेंट ने उजागर किया । राजस्थान गवर्नमेंट कांग्रेस की गवर्नमेंट है ।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र टोंक के उनियारा में अभी तीन दिन पहले छह साल की बच्ची के साथ रेप किया गया और फिर उसको मार दिया गया । उसके बाद उस घटना का कहीं जिक्र भी नहीं हुआ । उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कम से कम इस घटना का जिक्र तो किया है, बात तो आई है । जहां भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहां जिक्र ही नहीं होता है । ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आगे कुछ कहना चाहता हूं । सबसे बड़ी बात है कि ये लोग अपनी बात का जिक्र ही नहीं करते हैं ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री सुमेधानन्द सरस्वती, श्री दुष्यंत सिंह तथा श्री सुधीर गुप्ता को श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

श्रीमती स्मृति ईरानी जी, क्या आप बोलना चाहती हैं?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने उन्हें मना कर दिया । उनका माइक बंद हो गया ।

...(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): This is not a political issue.…(*Interruptions*) The hon. Member wants to politicise it.

माननीय अध्यक्ष: यहां पर कोई राजनीति नहीं होने देंगे ।

…(व्यवधान)

महिला और बाल विकास मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी): अध्यक्ष महोदय, आज कांग्रेस के एक नेता अभी अपने सीट से कह रहे हैं कि this is not a political issue. मुझे लगा, आपको तब होना चाहिए, जब अधीर रंजन जी इस विषय पर जान-बूझकर बोल रहे थे । जैसे बीजेडी के एक सांसद ने कहा कि महिला सम्मान, महिला सुरक्षा के विषय को कम्युनल सब्जेक्ट से जोड़ना राजनीति करने का इससे बड़ा दुस्साहस महिला के नाम पर इस सदन ने शायद ही कभी देखा होगा । आज बंगाल के एक सांसद यहां बोल रहे थे । मैं उनका नाम नहीं ले रही हूं । वह मंदिर का नाम ले रहे थे । एक सांसद ने हैदराबाद और उन्नाव की जघन्य घटनाओं पर अपना वक्तव्य यहां प्रस्तुत किया, लेकिन मालदा में क्या हुआ, उस पर चुप्पी साध ली ।…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : वहां क्या हुआ है? …(व्यवधान)

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: अगर पता नहीं है तो जाकर पश्चिम बंगाल का अखबार पढ़िए ।

प्रो. सौगत राय : हमको पता है । …(व्यवधान)

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: जिन लोगों ने रेप को पोलिटिकल वेपन की तरह पंचायत चुनाव में इस्तेमाल किया ।…(व्यवधान) आज वे यहां पर भाषण दे रहे हैं ।…(व्यवधान)

महोदय, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं ।…(व्यवधान) लेकिन इस सदन के एक सदस्य के नाते कुछ बोलना चाहती हूं और आशावादी हूं कि गौरव गोगोई जैसे पुरुष बैठकर थोड़ा सुन ले, क्योंकि मैं बिना किसी का नाम लिए बोल रही हूं ।…(व्यवधान) क्या यह सत्य है कि इस सदन ने कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान बनाया, सजा-ए-मौत को इंगित करवाया ।…(व्यवधान) यह सत्य है ।…(व्यवधान) क्या यह सत्य है कि इस सदन ने और दूसरे सदन ने …(व्यवधान) Stop shouting at me. …(*Interruptions*) Stop shouting at me for my ability to profess my views. …(*Interruptions*) Allow me to finish what I want to say as a Member. The very fact that you shout here today

means that you do not want a woman to stand up and talk about issues that she feels passionate about. Take your seats. …(*Interruptions*) You were quiet when rape was used as a political weapon during the West Bengal Panchayat elections. …(*Interruptions*) You were quiet. …(*Interruptions*) I would like to say here today. …(*Interruptions*) क्या उन्नाव में जो हुआ, वह जघन्य अपराध है, है ।…(व्यवधान) क्या हैदराबाद में जो हुआ, वह जघन्य अपराध है, है ।…(व्यवधान) क्या एक लड़की का बलात्कार करके उसको जलाना अमानवीय है? …(व्यवधान) क्या उन्हें सजा ए मौत होनी चाहिए? …(व्यवधान) बिल्कुल होनी चाहिए ।…(व्यवधान) लेकिन ऐसे अपराधों पर राजनीति करने से क्या किसी भी विक्टिम को कोई सहायता मिलेगी? …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस पर चर्चा समाप्त ।

…(व्यवधान)

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: महोदय, मैं दो-तीन बातें आपकी अनुमति से कहना चाहूंगी । मुझे कहने दें ।…(व्यवधान) 1,023 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिए इस सरकार के माध्यम से प्रत्येक राज्य को राशि दी गई, ताकि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जो महिला या बच्चे प्रताड़ित हैं, उनको न्याय मिले ।…(व्यवधान) इस सरकार के माध्यम से प्रत्येक … (व्यवधान) महिला संरक्षण के लिए, वूमेन हेल्प डेस्क के लिए पैसा दिया गया ।…(व्यवधान) महोदय, मेरा आग्रह है कि 1,023 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, हर पुलिस स्टेशन में …(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : अध्यक्ष महोदय, हम चाहते थे कि सरकार बताएगी कि उन चार लोगों को कैसे रिहा किया गया, सरकार यह बताएगी कि महिलाओं की वहां की लोकल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने क्यों मदद नहीं की, ये सब बातें नहीं आईं, सिर्फ राजनीतिक टिप्पणी और आक्रामक भाषण आया । आक्रामक भाषण, राजनीतिक टिप्पणी और मुद्दे से परे होने के विरोध में हम खड़े हुए हैं । हम वेल में नहीं आए, हमने अपनी सीट पर खड़े होकर इसका विरोध किया है । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट, माननीय सदस्य शांत रहिए । माननीय सदस्य आपने कहा कि राजनीतिक टिप्पणी की गई । मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं । क्या यहां पर राजनीतिक टिप्पणी करने के बाद किसी माननीय सदस्य द्वारा वेल में आकर किसी को धमकाना उचित है?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठ जाइए । मैं जब बोल रहा हूं तो सारा सदन क्यों बोल रहा है । एक आचार संहिता बननी चाहिए । इस ओर से राजनीतिक टिप्पणी की गई है, उसी तरह की राजनीतिक टिप्पणी आप भी करते हैं । बहुत गंभीर एवं आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं । इसके लिए अगर इधर के माननीय सदस्य वेल में आएंगे तो जो शब्द आज मैं यहां से सदन में बोल रहा हूं, मेरा यह दूसरा सत्र है, पांच साल इसी तरीके से इस सदन की आचार संहिता बनाना चाहता हूं । कितनी भी गंभीर टिप्पणी की गई हो, गंभीर टिप्पणी का जवाब गंभीर टिप्पणी से कीजिए । यदि वह असंसदीय होगा तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको रिकॉर्ड में नहीं जाने दूं । यदि रिकॉर्ड में नहीं होने के बाद भी अखबार वाले छापेंगे तो उसकी भी आचार संहिता बनाएंगे । यह सदन इसी तरीके से चलना चाहिए । लेकिन, राजनीतिक टिप्पणी के बाद वेल में आकर आपस में विवाद करें, यह हम इस सत्र में नहीं करेंगे । होता होगा, पहले कभी हुआ होगा, लेकिन मेरे कार्यकाल में मैं आपसे सहयोग चाहता हूं, आपकी सहमति चाहता हूं कि हम इस सदन को इस गरिमा से चलाएं कि इसको देश और पूरा विश्व देखे ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट, मैंने मंत्री जी की बात बोल दी है ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट नहीं, आप मुझे आदेश मत दीजिए कि किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, ठीक है । बैठे-बैठे आदेश मत दीजिए कि इनको बुला लीजिए, उनको बुला लीजिए । बैठकर आदेशित करने की व्यवस्था को बंद कर दीजिए, नहीं तो मैं नाम निकालकर आपको सदन से बाहर निकालने के लिए कहूंगा । ऐसे नहीं चलने वाला है ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण आज एग्रीकल्चर विषय पर चर्चा होनी है और मैं चाहूंगा कि डेढ़ बजे तक भोजन अवकाश करने के बाद हम वापस जुटेंगे और एग्रीकल्चर पर पहले अधीर रंजन जी बोलेंगे, उसके बाद रिप्लाई होगा ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: देखिए माननीय सदस्य, एक बात यह भी सुन लो । आप माफी मुझसे मंगवा लिया करें, लेकिन रोज गलत बोलकर माफी मांगने की परम्परा नहीं होनी चाहिए । गलत ही मत बोलिए ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आपकी बात मैंने कह दी है ।

…(व्यवधान)

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : अध्यक्ष जी, अगर आप मुझे बोलने की अनुमति दें,

प्लीज…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब सदन की कार्यवाही एक बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है ।

माननीय अध्यक्ष : रोड़मल नागर जी, आप बोलिए ।

…(व्यवधान)